संख्या– /xxvii(7)30(15)/2017

प्रेषक,

**अमित सिंह नेगी,**

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादून : दिनांक 03 फरवरी ~~जनवरी~~, 2017

**विषयः दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण।**

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं एवं पूर्व में उनके अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन घटाकर प्राप्त होने वाले वेतन एवं शुद्ध पेंशन के योग पर मंहगाई राहत तथा शुद्ध पेंशन का भुगतान उन्हें किया जा रहा है।

2– राज्य एवं केन्द्र में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के उपरान्त दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा इसके उपरान्त पुनर्योजित कार्मिकों के सम्बन्ध में भारत सरकार में जो रीति पूर्व में अपनायी गयी थी, उसी सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य के अन्य संवर्ग के ऐसे पुनर्योजित अधिकारी/कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि के पूर्व अथवा उसके उपरान्त पुनर्योजित थे/हैं, के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण अन्तरिम आधार पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

3– इस क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

(क)– ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 01.01.2016 को उन्हें पूर्व में प्राप्त अन्तिम वेतन का पुनरीक्षण नयी वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2016 से यह प्रकल्पित करते हुए किया जायेगा कि मानो वे उक्त तिथि को सेवा में थे।

(ख)– दिनांक 01.01.2016 से उनकी पेंशन का पुनरीक्षण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा तद्विषयक में निर्गत नियम/शासनादेश के अनुसार किया जायेगा।

(ग)– उप प्रस्तर–(क) के अनुसार पुनरीक्षित वेतन में से उप प्रस्तर–(ख) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन घटाकर पुनर्योजन/पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त अधिकारी के पुनरीक्षित वेतन संरचना में

निर्धारित अन्तिम मूल वेतन अथवा पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम वेतन दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(घ)– अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्ति कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में कोई अन्यथा आदेश निर्गत किये जाते हैं, तो राज्य सरकार में संबंधित अधिकारियों का वेतन तद्नुसार पुनर्निर्धारित किया जायेगा और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी को अनुमन्य वेतन से अधिक भुगतान हो गया है तो अधिक भुगतानित राशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन/पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य अन्तरिम राहत से समायोजित कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों की लिखित सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(ड़)– सेवानिवृत्त के उपरान्त जो कार्मिक दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त पुर्ननियुक्ति हुए हैं, की पेंशन को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित करने पर यदि अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अधिक भुगतान की धनराशि को पेंशन के अवशेष ऐरियर से समायोजित किया जायेगा। पेंशन के ऐरियर से समायोजन के उपरान्त भी अधिक भुगतान की धनराशि समायोजन के लिए अवशेष रह जाती है, तो उसे एक वर्ष में समान किस्त निर्धारित करके मासिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

भवदीय,

**(अमित सिंह नेगी)**
सचिव।

संख्या– 12 /XXVII(7)30(15)/2017 तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि**: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)**
अपर सचिव।